

न्यायानुसंग उपराज कृषिकारी रतनगढ़

पिठामिन कृषिकारी : अनिल कुमार RAS

प्रापक मुका 26/200

खारा 136 CRK

निर्णय दिनांक 09.2020

आदुराम मेपवानक पुत्र अमरराम मेपवान जाति
मेपवान निवासी चेनपुरा
कनाम

शाहम्यान खामा जरिये लक्ष्मीकदा रतनगढ़
कनाम

उपस्थित

(1) श्री शंभू स्वामी एड

(2) श्री राज

निर्णय



प्रार्थी की को से प्रार्थन पत्र पेश हुआ की उताम
चेनपुरा लक्ष्मीकदा रतनगढ़ में प्रार्थी की खारेगी कुछि खता
नमा 149, 286, 335, 461/157, 465/143, 487/141, 713/453
714/453, 715/453, 724/455 कुत खता 10 कुत लोदाकी
6-पाहा हेमेटा कुछि स्थित है खाम्ब रमाई में लिपि कुम
कुलवश प्रार्थी का नाम आदुराम पुत्र अमरचन्द ^{चमा} अमिल ही
जसा हे लवकी पहचान पत्र, बैंक कार्ड, कुत निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र व 10 की की कंकराठिमा में प्रार्थी
का नाम आदुराम मेपवान पुत्र अमरराम मेपवान

[Signature]
उप खंड कृषिकारी | 2020
रतनगढ़ (चूरा)



जाति मेयवान निवासी येनपुत्रा संविद हो इमति
 आदुराम पुत्र अमरचन्द जाति चमा के स्थान पर
 आदुराम मेयवान पुत्र अमरराम मेयवान जाति
 मेयवान नाम व जाति संशोधित करने का निवेदन
 किया है.

प्रार्थना पत्र दर्ज अग्रिम किता जागा
 तहसीलशा रतनगढ़ से रिपोर्ट मंगवाये जाये
 कजाली के साथ उपस्थित व तहसीलशा रतनगढ़ से
 रिपोर्ट प्राप्त हुई की प्रार्थी का नाम राम
 येनपुरा के रक्सा नम्बर 149, 286, 335, 461/157,
 465/143, 467/141, 713/453, 714/453, 715/453, 724/453
 में आदुराम पुत्र अमरचन्द जाति चमा दर्ज है तथा
 आदुराम पुत्र अमरराम जाति मेयवान रूप में दर्ज है दोनों एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र में प्राप्त रिपोर्ट
 का ठावलोकन किया व दस्तावेजों का कानूनी किता
 गमना व कस सुनी जाये इसके बाद यह न्यायानुस
 प्रार्थी की जाति-चमा से मेयवान एवं आदुराम पुत्र
 अमरचन्द जाति चमा से आदुराम पुत्र अमरराम
 संशोधित किया जाना उचित समझा है।

आदेश


तहसीलशा रतनगढ़ को प्राप्त रिपोर्ट व
 प्रार्थी की को से प्राप्त दस्तावेजों के माध्या

2020
 उप वरिष्ठ अधिकारी
 रतनगढ़ (बु.)



आदेश दिया जाता है की श्री पार्थी मा माय उताम
येनपुरा लखीन बलनगढ़ के खसता नम्बर 149, 286,
335, 461/157, 465/143, 467/141, 713/453, 714/453,
715/453, 724/453 में आडुराम पुत्र अमरचन्द
जाति चम्पा के स्वाम पा आडुराम पुत्र ममशराम
जाति मैषकान संशोचन विरा जाके आदेश की
प्रति लखीनगढ़ बलनगढ़ को पालनार्थ सिपवाये
जावे।

निर्णय दिनांक 09/09/2020 को सुनने
व्यायानय में सुनाया गया।


09/09/2020
उप अधि अधिकारी
रतनगढ़ (बुध)

